



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी—डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 371 / 2016

निर्णय दिनांक 04.12.2017

1. उस्मान खॉ पुत्र मीरण खॉ जाति मुसलमान निवासी जगासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पैरोकारराज

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 30.07.2012

सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थित:—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के आदेश दिनांक 30-07-2012 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन में आवंटन हेतु चक नम्बर 22-24 के मुरब्बा नम्बर 226/35 की भूमि बतौर विशेष आवंटन में आवंटित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी को भूमि आवंटन हेतु सबूतों व 20 प्रतिशत राशि सहित उपस्थित आने का नोटिस जारी किया गया।

प्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आया। अतः सलाहकार समिति की राय से आवेदन खारिज किया जाता है।

जबकि अपीलांट 20 प्रतिशत राशि पहले जमा कराने को तैयार रहा है तथा आज भी है। अपीलांट को आवंटित भूमि आज भी रकबाराज है तथा आवंटन कायम है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट से 20 प्रतिशत राशि जमा करवाई जाकर आदेश जारी किया जावे।

पत्रावली में कहीं भी नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-07-2012 के विरुद्ध अपील दिनांक 19-03-14 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट की अपील 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज की गई है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. अपीलांट ने चक नम्बर 22-24 के मुरब्बा नम्बर 226/35 की भूमि बतौर विशेष आवंटन भूमि बतौर विशेष आवंटन बतौर विशेष आवंटन में आवंटित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया।

अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को क्रमांक 248 दिनांक 14-12-2007 द्वारा इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि दिनांक 22-12-2007 को 20 प्रतिशत राशि सहित उपस्थित हों ताकि सबूतों की जाँच की जाकर भूमि आवंटन कर 20 प्रतिशत राशि जमा करवाई जाकर आवंटन आदेश जारी किया जा सके। अतः अपीलांट का यह कथन कि अपीलाधीन आदेश से पूर्व उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया स्वीकार योग्य नहीं है।

अपीलांट द्वारा बावजूद सूचना निर्धारित समयावधि में न तो स्वयं उपस्थित आया ना ही 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। चूंकि अपीलांट ने आवंटन शर्तों की पालना समयावधि में नहीं की इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट का आवंटन 25-03-2008 का है। 20 प्रतिशत राशि आवंटन के 6 माह में जमा करवाना आवश्यक है अन्यथा नियमानुसार आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है। आवंटन स्वतः निरस्त हो चुका है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण अस्वीकार किया जाता है। चूंकि अपीलांट द्वारा बावजूद सूचना/नोटिस निर्धारित समयावधि में 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई जाने के कारण अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 30-07-2012 बहाल रखा जाता है।

8 निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर

